पंजीकरण पुस्तिका

स्वतंत्रता दिवस
के शुभ अवसर पर
22 अगस्त 2014 से
पंजीकरण प्रारम्भ

अरावली एन्क्लेव

वृन्दावन योजना संख्या-3, सेक्टर-12

में विशिष्ट सुविधाओं से युक्त

फ्लैट्स

प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

ऑनलाइन पंजीकरण
के लिए :
www.upavp.com
पर लाग आन करें।

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.
Website : http://www.upavp.com, E-mail : upavp@sancharnet.in

अरावली एन्कलैव के विशेष आर्कषण :

- प्रत्येक फ्लैट्स में माड्यूलर किचेन।
- केन्द्रीयकृत इन्टरकाम व्यवस्था।
- केन्द्रीयकृत डिश एन्टीना
- 24 घंटे विद्युत आपूर्ति।
- आकर्षक लैण्ड स्केप सहित हरित क्षेत्र।
- 02 पैसेन्जर लिफ्ट प्रति टावर।
- आगन्तुकों हेतु प्रवेश द्वार पर आरक्षित पार्किंग।
- स्वीमिंग पूल आवश्यक सुविधाओं सहित।
- क्लब हाउस एवं अतिथि कक्ष।
- दैनिक उपयोग हेतु सुविधाजनक दुकानें।
- उपकरणों से सुसज्जित फिटनेस सेन्टर एवं इन्डोर गेम्स रूम।
- प्रस्तावित परियोजना पूर्ण विकसित क्षेत्र में स्थिति।
- सुरक्षा के दृष्टिगत वाउन्ड्रीवाल का चारों तरफ निर्माण।

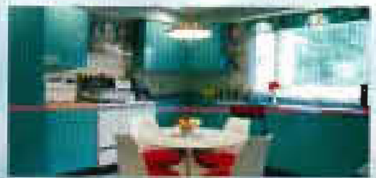

अरावली
एन्क्लेव
लखनऊ शहर में परिषद द्वारा संचालित वृन्दावन योजना सं.-3,
सेक्टर-12 मे प्रस्तावित स्ववित्त पोषित विशिष्ट बहुमंजिली
(Basement + Stilt + 10 Storied) आवासीय परियोजना।

BIRD EYE VIEW

SITE PLAN

GREEN BELT
ENTRY
GREEN BELT
14.5 M WIDE SETBACK
9 M WIDE ROAD
3BHK+SER
BLOCK-A
6 M WIDE ROAD
2 WHEELER PARKING
2 WHEELER PARKING
RAMP
RAMP
6 M WIDE ROAD
9 M WIDE ROAD
14.5 M WIDE SETBACK
GREEN BELT
14.5 M WIDE SETBACK
9 M WIDE ROAD

2 BHK - ISOMETRIC VIEW

3 BHK - ISOMETRIC VIEW

3 BHK + SERVANT - ISOMETRIC VIEW

2 BHK - C2 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 100.83 sqm.
SUPER AREA - 119.64 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

2 BHK - CLUSTER PLAN

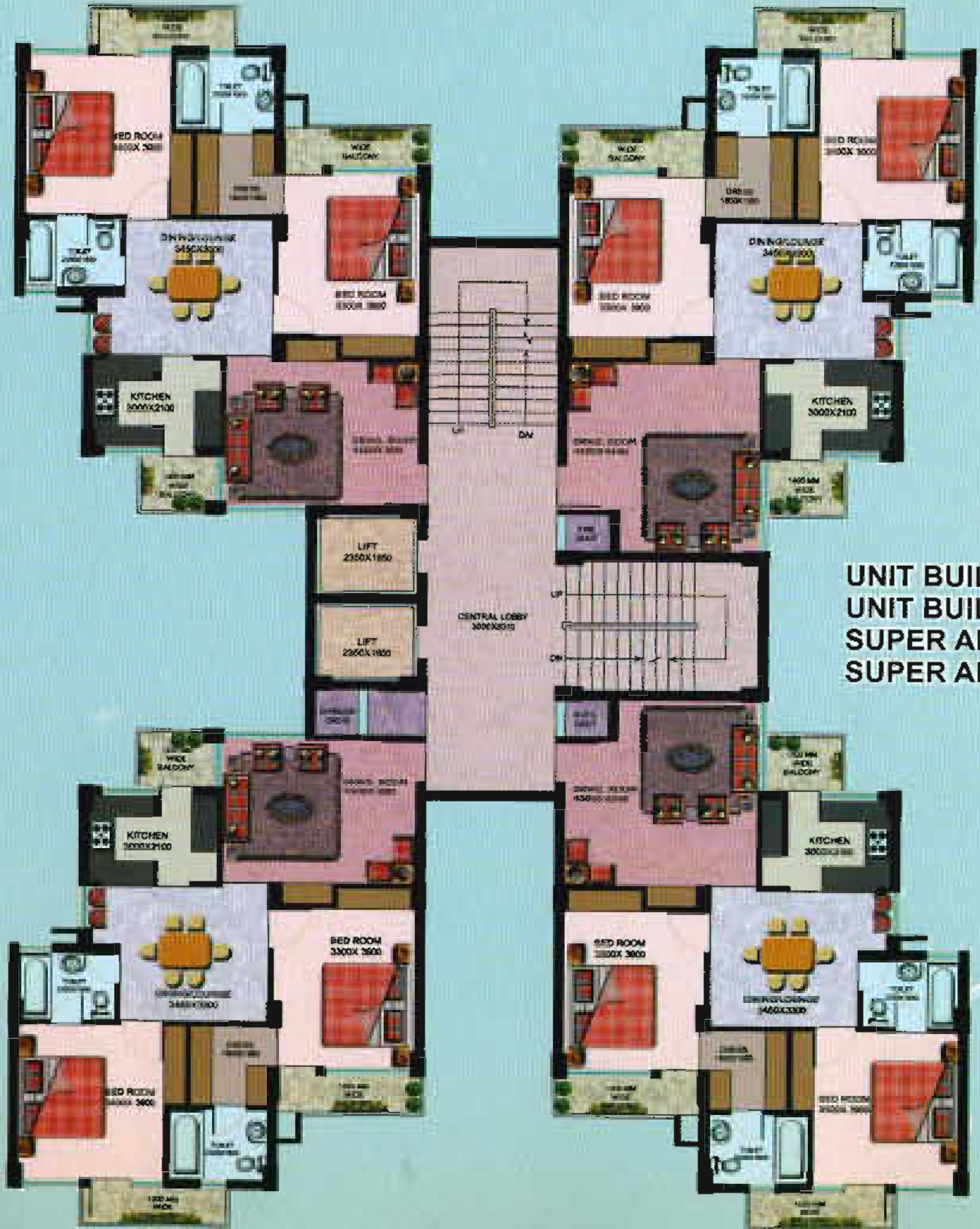

UNIT BUILT UP AREA C1 = 97.29 sqm.
UNIT BUILT UP AREA C2 = 100.83 sqm.
SUPER AREA/UNIT C1 = 116.10 sqm.
SUPER AREA/UNIT C2 = 119.64 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK - B1 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 136.62 sqm.
SUPER AREA - 155.34 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK - B2 TYPE UNIT PLAN

UNIT BUILT UP AREA - 139.07 sqm.
SUPER AREA - 157.79 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK CLUSTER PLAN

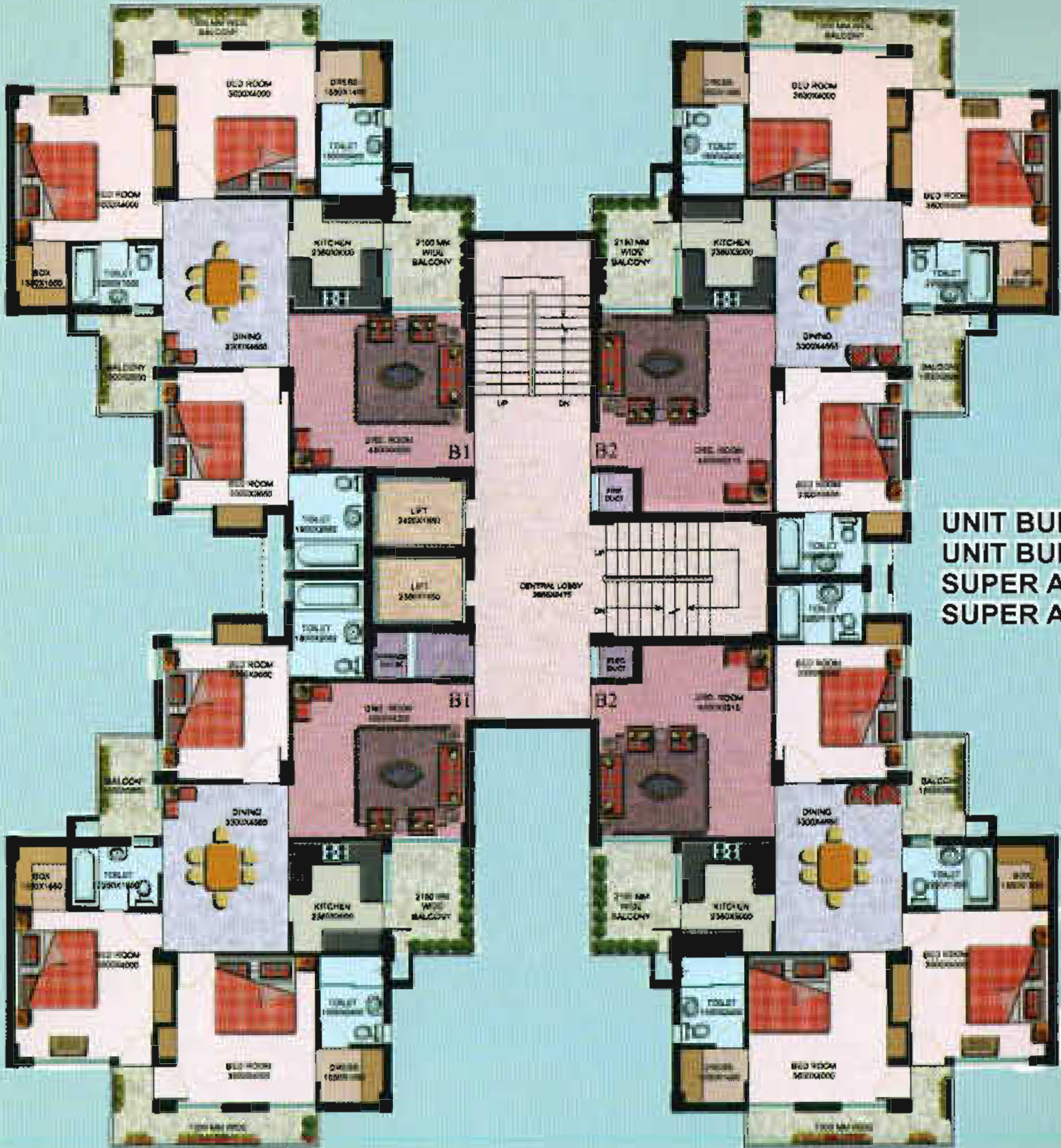

UNIT BUILT UP AREA B1 = 136.62 sqm.
UNIT BUILT UP AREA B2 = 139.07 sqm.
SUPER AREA/UNIT B1 = 155.34 sqm.
SUPER AREA/UNIT B2 = 157.79 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

3 BHK + SERVANT - UNIT PLAN

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

UNIT BUILT UP AREA - 155.32 sqm.
SUPER AREA - 176.00 sqm.

3BHK + SERVANT CLUSTER PLAN

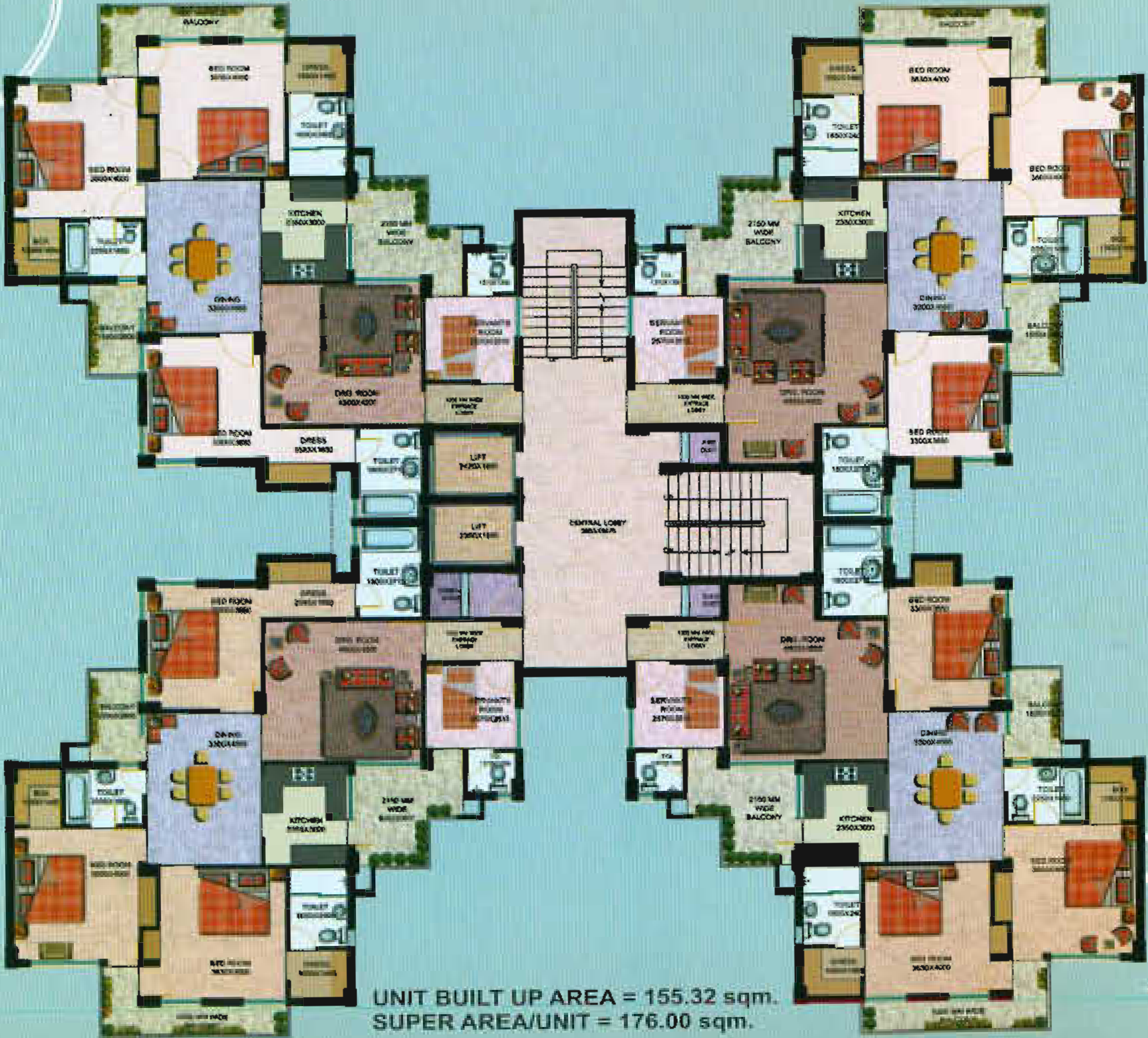

UNIT BUILT UP AREA = 155.32 sqm.
SUPER AREA/UNIT = 176.00 sqm.

सभी मापें मिलीमीटर में हैं।

परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिष्द द्वारा वृन्दावन योजना, संख्या–3, लखनऊ के सेक्टर–12 में प्रस्तावित अरावली एन्क्लेव परियोजना में स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना वर्ष–2013 (द्वितीय चरण) के अवशेष फ्लैट्स का विवरण :

परिषद द्वारा वृन्दावन योजना संख्या–3, लखनऊ के सेक्टर–12 में "अरावली एन्क्लेव" के नाम से स्व वित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत **3BHK+SER, 3BHK** एवं **2BHK** के कुल 14 नग टावर के अन्तर्गत कुल 560 फ्लैट्स का निर्माण दस मंजिली **(Basement + Stilt + 10 Storied)** टावर में कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट्स विवरण, पंजीकरण मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत हैं :

1. फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	टावर की संख्या	प्रति टावर फ्लैट्स की कुल संख्या	फ्लैट्स की कुल संख्या	सुपर एरिया प्रति फ्लैट (वर्ग.मी. में)	विक्रय हेतु निर्मित क्षेत्र (वर्ग.मी. में)	प्राविधान
1.	2 BHK C1 Type C2 Type	2	40	42 31	116.10 119.64	97.29 100.83	ड्राइंग रूम, डाइनिंग / लॉन्ज, 02 बेडरूम, 01 टवायलेट ड्रेस रूम सहित, 01 अन्य टवायलेट, 01 किचन तथा 03 बालकनी।
2.	3 BHK B1 Type B2 Type	3 3	40 40	106 108	155.34 157.79	136.62 139.07	ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, 03 बेड रूम, 01 टवायलेट ड्रेस रूम सहित, 02 अन्य टवायलेट, 01 किचन तथा 03 बालकनी।
3.	3 BHK+SER	4	40	160	176.00	155.32	ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, 03 बेड रूम, 01 सर्वेन्ट रूम, 02 टवायलेट ड्रेस रूम सहित, 02 अन्य टवायलेट, 03 बालकनी, 01 किचन।

2. प्रस्तावित पंजीकरण का विवरण :

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित फ्लैट्स की कुल संख्या	सुपर एरिया प्रति फ्लैट (व.मी. में)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (लाख में)	आरक्षित कवर्ड एवं ओपेन पार्किंग की लागत (लाख में)	प्रस्तावित पंजी. धनराशि (लाख में)	चयन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (लाख में)	अवशेष भुगतान तिमाही 9 किश्तों में प्रत्येक किश्त की प्रस्तावित धनराशि (लाख में)
1.	2 BHK C1 Type	42	116.10	43.32	2.00 01 नग कवर्ड	2.20	8.72	3.60
	C2 Type	31	119.64	44.64	2.00 01 नग कवर्ड	2.25	8.91	3.72
2.	3 BHK B1 Type	106	155.34	57.96	2.75 01 नग कवर्ड+ 01 नग ओपेन	2.90	11.59	4.83
	B2 Type	108	157.79	58.87	4.00 02 नग कवर्ड	2.95	11.73	4.91
3.	3 BHK+ SER	160	176.00	65.66	4.00 02 नग कवर्ड	3.30	13.13	5.47

नोट : पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।

फ्लैट्स की विशिष्टियां

फर्श :

ड्राइंग/बेडरूम : विट्रीफाइट टाइल्स।

स्टेयर केस : कोटा स्टोन

बालकनी/युटिलिटी : एन्टी स्किड टाइल्स।

ट्वायलेट :

बाथरूम : स्टैन्डर्ड मेक फिक्चर्स/एसेसरीज के साथ बाथरूम।

दीवार	:	डोर लेवल तक डिजीटल सेरेमिक टाइल।
फर्श	:	एन्टीस्किड सैटिन फिनिश टाइल्स।
चाइनावेयर	:	यूरोपियन टाइप डब्लू.सी. शीट, काउन्टर वास बेसिन।
जलापूर्ति	:	जलापूर्ति हेतु सी.पी.वी.सी. पाइप का प्राविधान।

किचेन :

फर्श	:	एन्टीस्किड सैटिन फिनिश टाइल्स।
कुकिंग प्लेटफार्म	:	ग्रेनाइट स्टोन किचेन टॉप एवं दीवारों पर 60 सेमी. ऊँचाई तक सेरेमिक टाइल्स का प्राविधान।
सिंक	:	स्टेनलेस स्टील सिंक।
फिटिंग्स	:	उच्च गुणवत्ता की ब्रान्डेड सी.पी. फिटिंग्स।
जलापूर्ति	:	सी.पी.वी.सी. पाइप द्वारा पानी की व्यवस्था का प्राविधान।
खिड़कियां	:	यू.पी.वी.सी. फ्रेम में फ्लोट ग्लास एवं एस.एस. स्टील मास्कीटो जाली सहित स्लाइडिंग विन्डो।
मुख्य दरवाजा		:टीक वुड पैनल डोर, मासकीटो प्रूफ डोर मैलामाइन स्प्रे पॉलिश के साथ।
अन्य आन्तरिक दरवाजा	:	दोनों तरफ टीक वुड फिनिश वीनियर के साथ फ्लश डोर शटर लीकर पॉलिश के साथ।
बालकनी दरवाजा	:	मास्कीटो जाली सहित यू.पी.वी.सी. स्लाइडिंग डोर।
ट्वायलेट दरवाजा	:	सॉलिड फौम पी.वी.सी. के चौखट एवं दरवाजा।
डोर फ्रेम / शटर फिटिंग्स	:	समस्त दरवाजों में स्टेनलेस स्टील फिटिंग।

दीवार की फिनिशिंग :

आन्तरिक	:	दीवाल एवं सीलिंग पर प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट फिनिशिंग।
बाहरी	:	वेदर प्रूफ इमल्शन।
आन्तरिक विद्युतीकरण	:	पी.वी.सी. कन्ड्यूट में माड्यूलर स्विच सहित कापर वायरिंग।
टी.वी. प्वाइंट्स	:	ड्राइंग, डाइनिंग रूम एवं सभी बेडरूम में डिस एन्टिना वायरिंग के प्वाइंट का प्राविधान।
पावर बैक–अप	:	प्रत्येक फ्लैट हेतु 2 KVA का प्राविधान।

प्राविधान/शर्तें :

1. प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल के आवंटियों द्वारा विक्रय मूल्य पर लोकेशन चार्जेज के रूप में क्रमशः 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 2 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा।

2. उक्त अनुमानित/आगणित मूल्य के अतिरिक्त 3 BHK + SER के आवंटियों द्वारा न्यूनतम दो नग कवर्ड पार्किंग, 3 BHK B2 टाइप के आवंटियों द्वारा न्यूनतम दो नग कवर्ड पार्किंग 3 BHK B1 Type में 1 नग कवर्ड, 1 नग ओपेन (कुल दो नग) पार्किंग तथा 2 BHK के आवंटियों को 1 नग कवर्ड पार्किंग आरक्षित कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार आरक्षण के उपरान्त अवशेष पार्किंग को इच्छुक आवंटियों के मध्य लाटरी द्वारा आवंटित किया जायेगा। बेसमेन्ट व स्टिल्ट की कवर्ड कार पार्किंग के लिए प्रति कार पार्किंग रु. 2.00 लाख एवं ओपेन प्रति कार पार्किंग हेतु रु. 0.75 लाख धनराशि अतिरिक्त देय होगा।

3. फ्लैट्स में सामान्य सेवाओं हेतु प्रत्येक टावर के लिए दो लिफ्ट (13 पैसेन्जर) तथा पावर बैकअप हेतु आवश्यकतानुसार उचित क्षमता के 2 जनरेटर एवं 2 ट्रान्सफार्मर प्रति टावर का प्राविधान किया गया है।

4. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया गया है।

5. फायर सेफ्टी नार्म्स के अन्तर्गत परिसर/टावर में सभी आवश्यक प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत फ्लैट मूल्य में सम्मिलित है।

6. परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसार में बच्चों व वयस्कों हेतु स्वीमिंग पूल, स्वागती/प्रतीक्षा कक्ष, अतिथि कक्ष, इन्डोर गेम कक्ष, दैनिक उपयोग हेतु सुविधाजनक दुकानें एवं फिटनेस सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी लागत फ्लैट मूल्य में सम्मिलित है।

7. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित तथा निर्माण 30 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में परिवर्तन संभव है। सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है।

8. फ्लैट्स के सुपर एरिया एवं परिसर/फ्लैट की ले–आउट डिजाइन तथा एलिवेशन में आंशिक परिवर्तन हो सकता है।

9. प्रत्येक आवंटी को अरावली एन्क्लेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्क्लेव की भूमि में फ्री–होल्ड चार्ज ग्रुप हाउसिंग में प्रचलित दर पर देना होगा।

10. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कार्पस फण्ड" में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि 3 BHK + SER हेतु रु. 2.30 लाख एवं 3 BHK हेतु रु. 2.05 लाख तथा 2 BHK हेतु रु. 1.55 लाख देय होगी। एन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये भौतिक कब्जा की तिथि से 2 वर्ष के बाद मेन्टनेन्स का कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् समिति द्वारा उक्त एन्क्लेव की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख–रखाव व्यय प्रथम फ्लैट के भौतिक कब्जा हस्तगत करने की तिथि से प्रति माह आवंटी को देना होगा।

11. परिषद द्वारा परिसर का रख–रखाव प्रथम फ्लैट के कब्जे की तिथि से 2 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है, इसके उपरान्त परिसर का रख–रखाव "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

12. फ्लैट्स में पावर बैकअप की वायरिंग / जनरेटर का मूल्य प्रस्तावित फ्लैट्स मूल्य में सम्मिलित है। रख–रखाव व्यय प्रतिमाह आवंटी को अतिरिक्त देना होगा।

13. सुपर एरिया पर रु. 1.50 प्रति वर्गफुट की दर से सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिक्योरिटी गार्ड तथा कम्युनिटी सेन्टर सामान्य सेवाओं के विद्युत बिल, सफाई आदि के रख–रखाव हेतु प्रत्येक फ्लैट के आवंटी को प्रति माह अतिरिक्त देना होगा, जो समय–समय पर परिषद / रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाया / घटाया जा सकेगा।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशो का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।

4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।

4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति–पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोडने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जायेगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।

4.5 यदि कोई आवेदक मांग पत्र निर्गत हो जाने के पश्चात् तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय वृन्दावन योजना, लखनऊ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

4.6 फ्लैटस निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद

के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

4.7 यदि किन्ही कारणो से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियो की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।

4.8. इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फ्लैटस देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

5. भुगतान का तरीका

5.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तो की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 09 त्रैमासिक किश्तो में देय होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक के माध्यम से स्वीकार होगा।

5.2 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित अतिरिक्त ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।

5.3 यदि 5.2 के अनुसार धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमो के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।

5.4 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

5.5 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तो की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैकर्स चैक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद जो लखनऊ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिए। मांग–पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

5.6 चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह (30 दिनों) के अन्दर फ्लैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फ्लैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

6. आवंटन नियम :

6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदको का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैटस की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेगें।

6.4 समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होगें। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।

6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ–साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख–निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।

6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, वृन्दावन योजना लखनऊ से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	——————तदैव——————
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	——————तदैव——————
4	मा० विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन–पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध करायें। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रामण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस, फ्रेंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन–पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोटः– उपरोक्त मे से क्रमांक 1 से 3 मे आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशो के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण–पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :–

भूविस्थापितों को शासनादेशों / परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू–विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि / भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को 10 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

9. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रू0–50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण /आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय–विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त

किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होगें।

11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्टस की सामुदायिक सेवाओ हेतु उपलब्ध रहेगा।

11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।

11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होगें।

11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तो के विषय में सम्बन्धित शासनादेशो व परिषद के प्राविधान प्रभावी होगें।

11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणो से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।

11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

11.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना को पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

परिषद की स्ववित्त पोषित योजना 2014 के अन्तर्गत अरावली एन्क्लेव वृन्दावन योजना सं.-3 लखनऊ में बहुमंजिली योजना हेतु पंजीकरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित निम्न बैंक शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं।

पंजीकरण 22 अगस्त 2014 से प्रारम्भ

आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 22 सितम्बर 2014

क्रमांक	पंजीकरण हेतु अधिकृत बैंक/शाखा का विवरण	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.
1.	आन्ध्रा बैंक, शाखा विधान सभा मार्ग, लखनऊ	श्री अनिल सिंह मुख्य प्रबन्धक	0522–2992171 मो.नं. 9559617723
2.	ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा 94 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ	श्री वी.के. भाटिया	0522–2236325,2237759 मो.नं. 8853099014
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा निशात गंज,	श्री वी.के. बाजपेयी मुख्य प्रबन्धक	0522–2339512, 2324897, 2333971 मो.नं. 8090004165
	शाखा रायबरेली रोड, एल्डिको हाईव प्लाजा, लखनऊ	श्री मनोज गुप्ता मुख्य प्रबन्धक	मो.नं. 8090004167 0522–2443202
4.	इलाहाबाद बैंक, उजरियाँव शाखा, 4/4 विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	श्री एम.एस. सिंह सहायक महा प्रबन्धक	मो.नं. 9450447909
5.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक सी–ब्लाक, गोल चौराहा, राजाजीपुरम, लखनऊ	श्री ए.के. गुप्ता वरिष्ठ प्रबन्धक	0522–2411250 9918400111

* पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

आन लाइन पंजीकरण हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा जवाहर भवन, लखनऊ को अधिकृत किया गया है।

पंजीकरण पुस्तिका (आवेदन पत्र) सम्बन्धित बैंकों एवं प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ दूरभाष : 0522–2239611 से रु. 1000/– नकद/पेआर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो UPHDB (SFS-2014)-Lucknow के नाम देय हो द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मगाने हेतु डाकखर्च रु. 50.00 अतिरिक्त देय होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश

1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते है। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें।

2 आवेदन पत्र में नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जायें।

3 अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते है।

4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसें : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।

5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधार भाग आवेदन पत्र पर एवं आधार भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा

6 एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।

7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक छोड़ा जायें।

8 आवेदन पत्र में बिन्दु–6 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।

9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से आसरा एन्कलेव एवं सपना एन्कलेव में किसी एक को भरना होगा।

10 आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

रू0-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

घोषणा पत्र

1 मैं उपरोक्त नामित एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा (उदाहरणार्थ परिवार) पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, जिसके साथ यह प्रपत्र सम्बद्ध है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।

2 मैं घोषित करता / करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तगत आवेदन-पत्र में उल्लिखित नगर के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

3 जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में मेरे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद को दूँगा / दूँगी।

4 मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।

5 मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

6 मैं एतद्द्वारा वचन देता / देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद को दिये है तो परिषद को मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो वह उपयुक्त समझें।

7 कृपया मेरा नाम इच्छुक आवेदकों / केताओ की सूची में पंजीकृत करने का कष्ट करें।

8 मैं .... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती .... जो रिश्ते में मेरे / मेरी .... हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता / करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी कम में श्री / श्रीमती .... जो मेरे / मेरी .... है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता / करती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द / शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये है, जहाँ–जहाँ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें:–

आवेदक का परिवार :–

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी / पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है।

आय :–

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतो से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड / भवन :–

''भवन या मकान'' शब्द में : ''फ्लैट'' भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :–

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन अथवा भूखण्ड से है।

विदेशी मुद्रा :–

विदेशी मुद्रा का तात्पर्य स्टलिंग पौंड, यू0एस0, डालर, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस फ्रेक और दीनार से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :–

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमन्त्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित हैं, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :–

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रकिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवओं से तात्पर्य :–

उ0प्र0 राज्य की सेवा में तथा उ0प्र0 राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायो में कार्यरत नियमित कर्मचारियो एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति :–

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि / भवन परिषद द्वारा अधिगृहीत की गयी हों।

स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :–

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतो की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डैस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :–

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशार्न्तगत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य :–

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :–

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण /जल संस्थान / नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य :–

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

योजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।

1. श्री जे.बी. सिंह अपर आवास आयुक्त, लखनऊ जोन फोन : 0522–2238741	2. इं. जयकान्त अधीक्षण अभियन्ता वृन्दावन वृत्त मो. : 8795810030
3. श्री लक्ष्मण प्रसाद उप आवास आयुक्त वृन्दावन योजना, मो. : 8795810015	2. इं. रूपचन्द परियोजना प्रबन्धक निर्माण इकाई–3 मो. : 8795810034

वृन्दावन योजना-3, सेक्टर-12, लखनऊ में प्रस्तावित "अरावली एन्क्लेव" बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन–लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के कम में निम्नलिखित चरणवार (Stepwise) प्रकिया का पालन किया जायेगा :–

प्रथम चरण (Step-1) :

आन–लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.com** पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक "Aravali Enclave,Vrindavan Yojna-3, Sector-12, Lucknow पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैटस की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढकर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, इच्छित फ्लैटस आदि विवरण आन–लाईन फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रकिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0 / पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की **ई–रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जायेगा।**
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट–आउट में अंकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीं:–

  ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
  ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
  ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
  ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
  ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' will be available.
  ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(**नोट**–डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "**उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद**" के पक्ष में जोकि लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)

*MOPS: Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2) :

अंतिम रूप से आन–लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार(Step-1) पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे / पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट **www.upavp.com** के लिंक Online Registration For Flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID भरकर अपना आन–लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन–लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन–लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन–लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति प्रमाणपत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेगें :–

"उप आवास आयुक्त
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय–वृन्दावन योजना
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना,
रायबरेली रोड, लखनऊ (उ0 प्र0)–226025"

IS 15700 : 2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

SFS 2 0 1 4 0 1

आवेदक का स्वहस्ताक्षारित पासपोर्ट साइज फोटो (हस्ताक्षर इस प्रकार कि आधा फोटो के ऊपर व आधा फार्म पर हो)

संयुक्त आवेदक की स्थिति में संयुक्त फोटो लगायें

फार्म संख्या
FORM No. 0004

अरावली एन्क्लेव वृन्दावन योजना सं.–3 सेक्टर–12 लखनऊ में फ्लैट्स के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र

(प्रार्थना पत्र भरने से पूर्व पंजीकरण पुस्तिका में दिये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश अवश्य पढ़े)

1. नगर का नाम – Name of the Town: लखनऊ कोड – 0 7 7
2. योजना का नाम – Scheme's Name: वृन्दावन यो.सं.–3 कोड– 0 5 0
3. जन्म तिथि D.O.B. (तिथि, माह, वर्ष)
4. सम्पति का प्रकार 3BHK+SER., 3BHK B-1, 3BHK B-2, 2BHK C-1, 2BHK C-2 में से किसी एक को भरें
5. आवेदक का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में भरें) Applicant's Name Sri/Smt/Km
   - (In English)
   - (हिन्दी में)
   - आवेदन संयुक्त रूप (पति–पत्नी में)
6. पिता/पति का नाम (Father's/Huaband Name)
   - (In English)
   - (हिन्दी में)
7. लिंग (Sex) (टिक ✓ करें) M F HW
8. आरक्षण श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है) Reservation category (Certificate be essentially enclosed)
   - (अ) आरक्षण कोड (Reservation code)
   - (ब) हारिजेन्टल आरक्षण कोड (Horizontal Reservation code)
9. पत्राचार का वर्तमान पता (Address for Correspondence)
   - पिन कोड (Pin code)
10. स्थायी पता (Permanant Address)
    - पिन कोड (Pin code)
11. सम्पर्क हेतु दूरभाष संख्या (Telephone No. for contact)
    - अ बेसिक फोन नं. (Landline Phone No.)
    - ब मोबाइल नं. (Mobile No.)
    - स ई–मेल आई.डी. (E-Mail ID)

12. जमा की गई पंजीकरण धनराशि का विवरण (Detail of Registration Money)

Amount/राशि ____ DD/ Bankers Cheque No./ बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चे सं. ____

दिनांक / Date (DD/MM/YY) ____

निर्गतकर्ता बैंक तथा शाखा का नाम व पता / Drawee Bank and Address of the branch

____

13. पंजीकरण राशि की वापसी हेतु सूचना / Information of Application Account no to which refund is to be made

आवेदक के बैंक खाते का नम्बर (Bank Account No.) ____

बैंक का नाम (Name of Bank) ____

शाखा का नाम (Branch Name) ____

बैंक का माइकर नं. (MICR No. of Bank) ____

बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. (अनिवार्य रूप से भरा जाय) (IFSC Code of Bank Branch) ____

नोट : किसी भी सूचना के गलत होने का दायित्व आवेदक का होगा खाते में धनराशि रिफन्ड न होने पर बैंक / परिषद की किसी तरह की जिम्मेदारी न होगी। आवेदक अपने एकाउण्ट की ही सूचना धन वापिसी हेतु भरें किसी अन्य एकाउण्ट का विवरण होने पर रिफन्ड असफल हो जाएगा।

14. संलग्नको की संख्या व विवरण (अनिवार्य रूप से भरा जाय)
Number & Details of enclosure (Compulsory)

कुल संलग्नक (No. of enclosure) ____

विवरण (Details)
A.
B.
C.

घोषणा (Declaration)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न ही इसका कोई भाग असत्य है। मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने आवासीय योजना हेतु पुस्तिका में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया हूँ तथा इस बात से सहमत हूँ कि यदि उक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन / मिथ्या पाया जाता है तो उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् को आवेदन पत्र / आवंटित भवन को निरस्त करने का अधिकार होगा।

I hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge, Nothing has been concealed and no part of it is false. I further declare that I have carefully read and understood the terms & condition of the scheme and do hereby agree to abide by the same. The U.P. Housing & Development Board has full right to cancel application & allotment in case of false information submitted by me.

दिनांक
Date

Signature of the applicant
आवेदक के हस्ताक्षर

चालान संख्या 0004

परिषद प्रति

चरण संख्या : 2 0 1 4 0 1

3

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

पंजीकरण जमा चालान

आवेदक का नाम (हिन्दी में)

Name of Applicant

आवेदित सम्पत्ति का प्रकार

जमा धनराशि शब्दों में

Deposit Amount Rs.

Date of Deposit

Bank Draft/Pay order No.

Drawn Bank, Branch Address

पंजीकरण संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

आवेदक के हस्ताक्षर (Signature of Applicant)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (Signature of Bank Officer)

मो. नं. ....

चालान संख्या 0004

बैंक प्रति

चरण संख्या : 2 0 1 4 0 1

2

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

पंजीकरण जमा चालान

आवेदक का नाम (हिन्दी में)

Name of Applicant

आवेदित सम्पत्ति का प्रकार

जमा धनराशि शब्दों में

Deposit Amount Rs.

Date of Deposit

Bank Draft/Pay order No.

Drawn Bank, Branch Address

पंजीकरण संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

आवेदक के हस्ताक्षर (Signature of Applicant)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (Signature of Bank Officer)

मो. नं. ....

चालान संख्या 0004

आवेदक प्रति

चरण संख्या : 2 0 1 4 0 1

1

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

पंजीकरण जमा चालान

आवेदक का नाम (हिन्दी में)

Name of Applicant

आवेदित सम्पत्ति का प्रकार

जमा धनराशि शब्दों में

Deposit Amount Rs.

Date of Deposit

Bank Draft/Pay order No.

Drawn Bank, Branch Address

पंजीकरण संख्या (केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

आवेदक के हस्ताक्षर (Signature of Applicant)

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर (Signature of Bank Officer)

मो. नं. ....

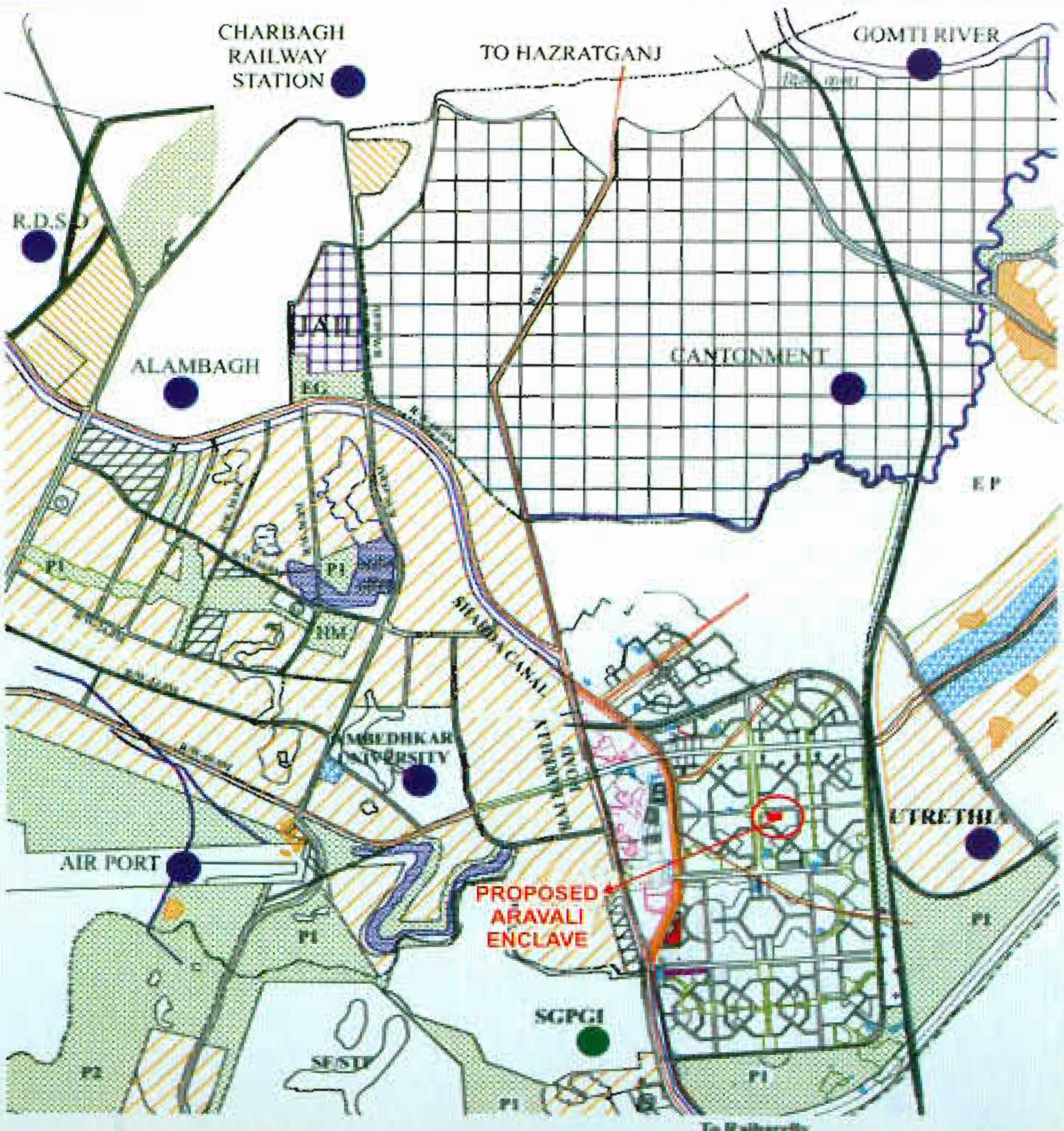

LOCATION PLAN

शहर के प्रमुख स्थलों से न्यूनतम दूरी :

पी.जी.आई - 02 कि.मी.

पी.जी.आई. ट्रामा सेन्टर - 01 कि.मी.

एयर पोर्ट - 7 कि.मी.

चारबाग रेलवे स्टेशन - 7 कि.मी.

शहीद पथ - 0.50 कि.मी.

उतरेठिया रेलवे स्टेशन - 0.50 कि.मी.

मूल्य : ₹ 1000 (952 + 48/- वैट)

IS 15700 : 2005

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD